ALL INDIA FORWARD BLOC
CENTRAL COMMITTEE
28, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi-110 001
Phone : +91-11-23714131, 23352273, 23753545, Telefax: 23714131
Website : www.forwardbloc.org.

प्रेस विज्ञिप्ति
कोलकाता 26 सितम्बर 2011

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की मीटिंग 23-25 सितम्बर 2011 को कोलकाता संपन्न हुई। पार्टी अध्यक्ष साथी एन. वेलप्पन नायर ने मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में देश की वर्तमान समाजिक- राजनैतिक - आर्थिक परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया गया तथा पार्टी द्वारा आयोजित 9 अगस्त से 5 सितम्बर 2011 की भारत यात्रा पर भी समीक्षा किया गया।

भारत यात्राः

कमिटी ने समीक्षा किया कि कन्या कुमारी से दिल्ली, श्रीनगर से दिल्ली तथा अगरतला से दिल्ली के लिये 9 अगस्त से 5 सितम्बर 2011 तक पार्टी द्वारा आयोजित भारत यात्रा पूर्ण रूप से सफल रहा। इसकी सफलता से अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के साथ-साथ अन्य वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के नया उत्साह भर गया। सरकार की जन-विरोधी नीतियों के कारण किस प्रकार महँगाई, भ्रष्टाचार, कारपोरेट लूट बढ़ रही है और जल-जंगल-जमीन का अधिकार हमसे छीना जा रहा हैं, इस तरह के मुद्दों के साथ भारत यात्रा के दौरान जनता के बीच में जागरूकता भी पैदा की गयी। जनता का उच्च भागीदारी से भारत यात्रा को काफी प्रोत्साहन मिला। अतः पार्टी ने निर्णय लिया है कि भारत यात्रा के कार्यक्रम को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिये अनुवर्ती कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ जल्दी ही पार्टी व्यापक तौर पर देशभर में धरना, चक्का जाम, रैलियां आदि का आयोजन करेगी।

मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करो और लोकसभा के प्रकाशन में नेताजी पर त्रुटि में सुधार करो

नेताजी के रहस्मय अंतर्ध्यान होने पर न्यायाधीश मुखर्जी आयोग की जाँच रिपोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि नेताजी की तथाकथित हवाई दुर्घटना में नहीं हुई, अतः इस रिपोर्ट को स्वीकार कराने के लिये व सरकार पर दबाव बनाने के लिये राष्ट्रव्यापी जन-आन्दोलन किया जायेगा। पार्टी ने यह भी मांग की हैं कि लोकसभा द्वारा प्रकाशित महान क्रान्तिकारियों पर पुस्तक में नेताजी की मृत्यु की तारीख 18 अगस्त 1945 लिखे जाने पर उसमें सुधार की करें क्योंकि जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट के अनुसार 17 अगस्त 1945 को कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं। पार्टी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेताजी को मरणोपरान्त भारत रत्न अवार्ड तथा जापान से उनकी नेताजी की राख लाने के संबंध में रोक लगाने के बाद से आदेश को तोड़ मरोड़ करके पेश करना सरकार द्वारा रची हुई एक बड़ी साजिश है। पार्टी इन मांगों के के समर्थन में अपना आन्दोलन देश भर में जारी रखेगी और जब तक नेताजी के जन्मदिवस 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस घोषित नहीं किया जाता तब तक जन-आन्दोलन करती रहेगी। पार्टी ने महसूस किया कि इन सभी मुद्दों को भारत यात्रा के दौरान उठाया गया जिसे जनता ने खुब सराहा और अपना पूरा समर्थन करने का वादा किया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक 15 से 18 नवम्बर तक देश भर में सिटीजन कन्वेंशन आयोजित करेगा, पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता कोर्ट अरेस्ट होंगे और 25 नवम्बर 2011 को जन-प्रदर्शन भी किया जायेगा। लोकसभा के प्रकाशन में त्रुटि के लिये 25 नवम्बर 2011 को लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा जायेगा। इस तरह की उपेक्षा और त्रुटि में सुधार के लिये दबाव बनाने के लिये सभी पार्टी के सांसदों से हमारी पार्टी अनुरोध करेगी कि वे लोकसभा प्रकाशन में वर्णित त्रुटि में सुधार के लिये लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में दें।

भूमि अधिग्रहण विधेयक

ब्रिटिश भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में सुधार करके भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद में पेश की गई। हमारी पार्टी ने हमेशा यह मांग की हैं कि भूमि अधिग्रहण के लिये हमारे देश में नए कानून की आवश्यकता है, जो कि अब पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया हैं। भूमि का जुड़ाव सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा, गरीबी व बेरोजगार लाखों लोगों की आजीविका से होता हैं। इससे इनका भावनात्मक लगाव भी होता हैं जिससे इन्हें अपनी सुरक्षा, पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती हैं। अतः इनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी तरह भूमि अधिग्रहण का प्रयास एक प्रतिघात होगा। सरकार का यह परम कर्त्तव्य हैं कि उन्हें उचित पुनर्वास मिले। लेकिन ज्यादातर सभी मामलों में, सरकार वादा तो कर करती हैं लेकिन फिर देती कुछ नहीं हैं, और फिर भूमि मालिकों को खानाबदोशों की तरह बिना किसी पहचान के भटकने के लिये छोड़ देती हैं।

यह एक तथ्य है कि कृषि योग्य भूमि हमारे देश में दिन प्रतिदिन एक या अन्य कारणों से कम होती जा रही हैं। अतः सरकार तुरन्त ही भूमि की पहचान को बचाये रखने के लिये 'लैण्ड यूज मैप' तैयार करे तथा कृषि योग्य भूमि का विस्तार करें। सार्वजनिक उपयोगिता के नाम पर सरकार देश की जनता को कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दया पर नहीं छोड़ देना चाहिये। अतः, सरकार गरीब किसान और उस आश्रित नोटों के बण्डल के लालच में आकर सौदेबाजी करना भूल जाते हैं और जल्दी आत्मसमर्पण कर देते हैं। अतः सरकार तुरंत ही उचित मूल्य, तय करे, पुनर्वास, प्रस्तावित परियोजना में उसका अंश भागीदारी, पर्याप्त भूमि और उपयोज्य भूमि के बदले उपयोज्य भूमि आदि मुहैया करानें के संबंध में पहल करे और बंटाईदारों तथा कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करें। किसी भी योजना को प्रतिमूर्त देने से पूर्व योजना और परियोजना के संबंध में राज्य सरकार स्थानीय निकायों व पंचायतों से विचार विमर्श करे। इस संशोधित विधेयक में इन सभी बातों को जिक्र आवश्यक हैं।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक संसद में अपनी आवाज तथा गहन विचारमर्श करके तेजी से इस अधिनियम को बनाने के लिये जन आंदोलन करेगा।

बढ़ती गरीबी

भोजन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के खर्चे को शामिल करते हुये तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट की कार्य प्रणाली के तहत गरीबी के पैमाने को मापने की प्रक्रिया को योजना आयोग ने अपनाते हुये देखा की गरीबों की संख्या 37.2 प्रतिशत है जबकि यही 2004 में 27.5 प्रतिशत थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वालों की संख्या 2004 से अब तक 10 करोड़ और बढ़ गई। अब आयोग ने 20 सितम्बर 2011 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शहरी क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति प्रति माह 965 रुपये खर्च करता हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 781 रुपये प्रतिमाह खर्च करता हैं उसे गरीब नहीं समझना चाहिये। इसका अर्थ स्पष्ट है कि शहर में रोज 32 रुपये खर्च करने वाला ग्रामीण क्षेत्र में रोज 28 रुपये खर्च करने वाला केन्द्र सरकार या राज्य सरकार बीपीएल आधारित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का अधिकारी नहीं हैं।

यह तथ्य निहायत ही मूर्खतापूर्ण गणना हैं और भारत में गरीबी के बढ़ते उच्च स्तर को आंकड़ों में उलझाकर दबाने का प्रयास हैं। एक तरफ तो सरकार कहती हैं कि उदारीकरण के कारण आर्थिक उन्नती हो रही हैं और दूसरी तरफ अमीरों और गरीबों के बीच के बढ़ते अन्तर को दबाने का प्रयास कर रही हैं। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक सरकार से मांग करती हैं कि योजना आयोग की गणना को सरसरी तौर अस्वीकार करें और गणनाओं को अंतिम रूप से पूर्व तथ्यों की महत्त्वपूर्ण जानकारी के लिये राज्य सरकारों से विचार करे।

कैश फार वोट घोटाला:

कैर फार वोट घोटाले ने सत्ता की प्यासी कांग्रेस (आई) के घिनौने चेहरे को एक बार फिर उजागर हो गया हैं। जब वामदलों ने संप्रग-1 सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था तो कांग्रेस (आई) ने सरकार बचाने के लिये नोटों के भरे थैलों के साथ राजनीतिक ब्रोकरों को उतार दिया। अब ये ब्रोकर जेल में हैं लेकिन इस पूरे प्रकरण में असली अपराधी लोकतंत्र और पारदर्शिता का धर्मदूत होने का ढोंग कर रहा हैं।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक यह मांग करता हैं कि इस भारतीय संसद की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने वाले इन अलोकतांत्रिक घटना के अपराधियों को कठोर भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत मामला चलाना चाहिये।

चिदम्बरम इस्तीफा दो:

हाल ही में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रधानमंत्री को विभागीय रिपोर्ट यह सिद्ध करता हैं कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पी. चिरम्बरम, पूर्व वित्तमंत्री के शामिल होने से उच्च स्तरीय घोटाले का षड्यन्त्र उजागर हो गया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट चिदम्बरम का पक्ष लेते हुये बचाव करने का प्रयास किया। लेकिन पूर्व संचार मंत्री ए. राजा द्वारा पेश हलफनामें में 2जी स्पेक्ट्रम में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का भी हाथ होने का जिक्र किया गया हैं।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक यह मांग करता हैं कि इन नये तथ्यों के उजागर होने पर पर पी. चिदम्बरम जल्दी ही इस्तीफा दें।

किसानों की पीड़ा

एक बड़ी वार्ता, सरकार द्वारा विशेष राहत पैकेज की घोषणा तथा कर्जो में ढिलाई बरतने के बाद भी भारतीय किसानों का दु:खद पलायन जारी हैं। कृषि में शत् प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कृषि तथा कृषि व्यवसाय में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सीधे प्रवेश, लाभकारी मूल्य का अभाव, उर्वरकों से सब्सिडी को समाप्ती, यूरिया के दामों में वृद्धि, पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि, उचित बाजार का अभाव, उत्पादित फसल के लिये बीमे का अभाव, बिना जरूरत के कृषि उत्पादों का विदेशों से आयात आदि इन सभी कारणों से किसानों का जीवन दु:खी हो गया हैं। किसान संगठनों का आन्दोलन इन सत्तासीन बहरों के कानों में नहीं गूँज रही हैं। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक किसान सभा का आह्वान करती हैं कि सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ और किसानों को बचाने के लिये स्वतंत्र या संयुक्त रूप से आन्दोलन का आह्वान करें।

चुनाव पश्चात् पश्चिम बंगाल में सत्ताधारियों का अत्याचार

यह बड़ी ही चिंता का विषय हैं कि पश्चिम बंगाल में आई टीएमसी-कांग्रेस गठजोड़ की नई सरकार, की तृणमूल कांग्रेस योजनावद्ध तरीके से से एक बदले की भावना से वामदलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही कर रही हैं। यह उनके उस जुमले के बिल्कुल उलट है कि वे बदलाव के लिये काम करेंगे न की बदले के लिये। इस प्रक्रिया में कई निर्दोष लोगों को मार दिया गया। ईर्ष्यालू होना एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने का संकेत नहीं हैं। हम इस वाम विरोधी अच्याचार की निंदा करते हैं और हमें डर है कि सरकार के इस तरह के आचरण से कहीं परम्परागत लोकतांत्रिक ढांचा नष्ट न हो जाये।

तृणमूल कांग्रेस सरकार गरीब किसानों की पट्टा भूमि को जब्त कर रही हैं और किसानों को उससे बेदखल कर रही हैं, हाल ही में पंचायत, निगम बोर्ड, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र संघों में नवनिवार्चितों सदस्यों को को इस्तीफा देने के लिये बल प्रयोग किया जा रहा हैं या इन पर वाम विचारक होने का हवाला देकर गलत इल्जाओं के जरिये आरोप लगाकर उन्हें हटाने जा रहा हैं। लोग अब आतंक के साये में जी रहे हैं। स्वच्छ शहर के नाम पर, राज्य सरकार राजनीतिक सभाओं, जुलुसों आदि पर रोक लगा रही हैं और व्यापारिक औद्योगिक घरानों के इशारों पर वामदलों के होर्डिंग-पोस्टर-फण्डे उखाड़-उखाड़ कर फेंके जा रहे हैं। इसके अलावा गंभीर राजनैतिक मुद्दों के मामले में जैसे 'गोरखालैण्ड' या 'जंगलमहल', सरकार सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाने की जहमत भी नहीं उठाती हैं।

हम जनता से अपील करते हैं वे एकसुर में एकत्रित होकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस(आई) नीत सरकार का की इस जनविरोधी व अलोकतांत्रिक रवैये का विरोध करें व लंबे समय से हमारी लोकतांत्रिक धरोहर को बचाये।

(देवब्रत बिश्वास)
महासचिव